Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 12/493**

1. हेमराज
2. बाबूलाल
3. रघुनन्दन पिसरान श्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलाथी

**बनाम**

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये संरक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड, कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टेम्पलबोर्ड पाटनपोल कोटा जरिये अधिकारी ।

——प्रत्यर्थी

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।**

**वाद संख्याः 470/दावा/2009**

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये संरक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड, कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टेम्पलबोर्ड पाटनपोल कोटा जरिये अधिकारी ।

——वादी

## बनाम

1. हेमराज
2. बाबूलाल
3. रघुनन्दन पिसरान श्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 20.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावर्त के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.11 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 20.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

20/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 12/493**

1. हेमराज
2. बाबूलाल
3. रघुनन्दन पिसरान श्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये संरक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड, कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टेम्पलबोर्ड पाटनपोल कोटा जरिये अधिकारी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 20.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 39 की 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 की 2.27 हैक्टर कुल 3.16 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी प्रतिमा श्री बडे मथुरेश जी के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पूर्व में हवाला काश्त में थी । माफी रिज्यूम होने के पश्चात् वादी मूर्ति इस भूमि की खातेदार कृषक है । उक्त भूमि पर वादी की स्वीकृति से प्रतिवादीगण काबिज थे । वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि से कब्जा छोडने के लिए कहा परन्तु उन्होंने वादी को कब्जा नहीं संभलाया है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं जो काबिज बेदखली हैं। मूर्ति सदैव नाबालिंग है मूर्ति की खातेदारी की भूमि मूर्ति के अलावा अन्य किसी भी काबिज व्यक्ति को मूर्ति की ओर से ही काबिज कानूनन माना गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर वादी को दखल दिलवाने व नियमानुसार हर्जा दिलवाये जाने हेतु वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने तथा उक्त भूमि पर कब्जा दिलाये जाने तक प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वार्षिक लगान का 15 गुना सालाना हर्जाने के रूप में वादीगण को दिये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त आराजी पर पिछले 50–60 वर्षो से बहैसियत मालिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है जिसे वादी ने भी स्वीकार किया है । राजस्थान कश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोडेन्टगण के अधिकार समाप्त हो गये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने वकील साहब को पैरवी हेतु नियुक्त किया था परन्तु उन्होंने प्रार्थी को प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचना देने के लिए कहा परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई । इस कारण अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.08.2012 को प्रार्थी द्वारा जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 50–60 वर्षो से बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वह कानूनन उक्त भूमि के खातेदार हो गये हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है जिसे वादी रेस्पोडेन्ट ने भी स्वीकार किया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वादी रेस्पोडेन्ट के उक्त भूमि से अधिकार समाप्त हो गये हैं । वादीगण रेस्पोडेन्ट का वाद मियाद बाहर होने से निरस्तनीय था । वादीगण रेस्पोडेन्ट को कानूनन प्रतिवादीगण अपीलान्ट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है । वादी मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिंग है और वह अपने खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त करवा सकते हैं । मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही हो परन्तु कब्जा मूर्ति मंदिर का ही माना जावेगा । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2061 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बांक्या की नया खाता संख्या 84 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 39 की 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 की 2.27 हैक्टर कुल 3.16 हैक्टर भूमि वादी मथुराधीश जी बडा मंदिर ठिकाना कोटा के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

12. वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू डी– 1 नवीन चन्द्र कराए गये हैं ।

13. अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया – हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया था और वादी के गवाह पी.डब्ल्यू.– 1 नवीन चन्द्र शर्मा से प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने जिरह की । तत्पश्चात् प्रतिवादीगण साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें 29.07.2009 से 17.08.2011 तक कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । प्रतिवादीगण अब अपील के स्तर पर यह प्ली नहीं ले सकते कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर गत 50–60 वर्षो से अपना कब्जा बता रहे हैं परन्तु उपने लम्बे समय से कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है । अपीलान्ट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं ।

14. वादग्रस्त आराजी वादी मूर्ति मंदिर बडे मथुरेश जी के नाम खातेदारी में दर्ज है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिंग है और वह अपने खातेदारी की भूमि को किसी भी व्यक्ति से काश्त करवा सकता है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण बहैसियत अतिक्रमी काबिज हैं जिससे वह बेदखली के पात्र हैं ।

15. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम की और प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2011 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा